प्रेस विज्ञप्ति
08.03.2025

अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे कमल कालड़ा के मामले में धन शोधन अपराध के पीड़ितों व वैध दावेदारों को 13.58 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक प्रत्यास्थापित की है।

ईडी ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा फर्मों/कंपनियों के 59 चालू खाताधारकों और अन्य अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कई हवाला ऑपरेटरों और व्यापारियों की मिलीभगत से हांगकांग, एसएआर, चीन और दुबई में स्थित विभिन्न कंपनियों को अग्रिम आयात विप्रेषण और कथित सॉफ्टवेयर आयात के लिए विप्रेषण की आड़ में भारी मात्रा में धनराशि भेजी गई थी। हालांकि, बाद में कोई आयात नहीं हुआ और आरोपियों ने बैंक के सामने फर्जी दस्तावेज पेश किए।

जांच के दौरान, ईडी ने 7 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए, जिसमें विभिन्न आरोपी व्यक्तियों की 69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई और माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष 5 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं। दिनांक 08.03.2025 को धन-शोधन के अपराध के वास्तविक वैध दावेदारों और पीड़ितों को अपराध की आय (पीओसी) को प्रत्यास्थापित करने/बहाल करने के पीएमएलए प्रयोजन पर विचार करते हुए, ईडी ने मामले में धन-शोधन के अपराध के वास्तविक वैध दावेदारों और पीड़ितों की कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने के लिए माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अनापत्ति जाहिर की।

ईडी के उपर्युक्त अनुरोध के आधार पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने धन-शोधन के अपराध के वास्तविक वैध दावेदारों और पीड़ितों को कुर्क की गई अचल संपत्तियों के प्रत्यास्थापन का आदेश पारित किया। वैध दावेदार और पीड़ित को संपत्तियों का प्रत्यास्थापन ईडी के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीओसी प्रभावित लोगों को प्रत्यास्थापित कर दी जाए। ईडी वित्तीय अपराधों से निपटने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करवाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।